राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	1526/2025	भगवती चौधरी	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री संदीप कलवानिया
2.	1523/2025	ममता कुमावत	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री संदीप कलवानिया
3.	1581/2025	रामकेश मीणा	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री सलीम खान

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में आलोच्य आदेशों को समान आधार पर चुनौती दी गयी है। अतः समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या–1526/2025 भगवती चौधरी बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मु. निवारू, सहा.निदे.कृषि.(वि.), झोटवाड़ा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण मु. बराखन, सहा.निदे.कृषि (वि.), ब्यावर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण 11 माह की अल्पावधि में किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि

अपीलार्थी का स्थानांतण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। हम पाते है कि मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा कृषि मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग की अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है एवं स्थानांतरण आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने का अंकित है। हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश राज्यहित में पारित किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क की अपीलार्थी का स्थानान्तरण 11 माह की अल्पावधि में गया है, तो हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता में कार्मिक का स्थानान्तरण किसी भी समय किया जा सकता है। अतः इस आधार पर हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

5. अतः हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

7. उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में उक्त आदेश प्रभावी होगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

8. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1526/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)